दिनांक 02.06.2024
प्रेस विज्ञप्ति 02/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा बढ़ती गर्मी (हीटवेव) तथा आग्नि सुरक्षा हेतु समुचित पुलिस प्रबन्ध के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद को बढ़ती गर्मी (हीटवेव) तथा आग की घटनाओं के दृष्टिगत पुलिस कर्मियों को सुरक्षित रखने, समुचित जागरूक करने तथा अग्नि सुरक्षा हेतु पुलिस प्रबन्ध के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर दिशा निर्देश दिये गये :–

- कमिश्नरेट/जनपदों के समस्त थानों/चौकियों पर शुद्ध व शीतल पेय जल की व्यवस्था की जाए।
- पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर जाने से पूर्व तथा ड्यूटी के दौरान नियमित रूप से पेय जल ग्रहण करने, गस्त/पेट्रोलिंग अथवा अन्य ड्यूटी पर जाते समय पेयजल, नीबू, इलेक्ट्राल, ग्लोकोज, ओ०आर०एस० घोल तथा उपलब्धतानुसार नारियल पानी इत्यादि ऊर्जावर्धक सामग्री अपने साथ रखने तथा अधिक प्रोटीन/वसायुक्त भोजन के सेवन से बचाव हेतु जागरूक किया जाये।
- पुलिस कर्मियों को सत्तू, छाछ, दही आदि ठण्डे खाद्य पदार्थों का सेवन कर ड्यूटी करने हेतु प्रेरित किया जाए।
- यातायात कर्मी जो दिन के समय चौराहे पर ड्यूटी करते हैं, उनके बूथ व शेड आदि ठीक करा लिया जाये तथा उक्त यातायात बूथ शेड में भी पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

- समस्त कमिश्नरेट/जनपदों में थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने भ्रमण के दौरान ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों से उनकी कुशलता ज्ञात करते हुए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- पुलिस कर्मियों की ड्यूटी शिफ्टवार/रोटेशनवार नियमित रूप से लगायी जाय, जिससे किसी भी पुलिस कर्मी की ड्यूटी दिन में/धूप में लगातार न लगे। अस्वस्थ/शारीरिक रूप से बीमार कर्मियों की ड्यूटी धूप के समय न लगायी जाए।
- थाना/पुलिस लाइन तथा बैरिकों में प्रतिदिन गणना के समय पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य/कुशलता की जानकारी थाना प्रभारी, प्रतिसार निरीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी द्वारा की जाये। किसी भी कर्मी को हीटवेव से सम्बन्धित लक्षण परिलक्षित होते ही उसे समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाए।
- जनपदीय प्रशासन तथा चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हीटवेव से पीड़ित पुलिस कर्मियों को त्वरित चिकित्सा हेतु समुचित सुविधा उपलब्ध करायी जाए।
- अग्निशमन के वाहन व कर्मियों का स्ट्रेटजिक व्यवस्थापन किया जाये। समस्त अग्निशमन स्टेशनों को उच्च एलर्ट पर रखा जाए। आग की छोटी से छोटी सूचना पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- अग्निजनित दुर्घटनाओं से सम्बन्धित संवदेनशील स्थानों/हॉटस्पाट को चिन्हित कर लिया जाये। शॉपिंग माल्स, गेमिंग जोन, मल्टीस्टोरी कॉम्पलेक्स, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, विद्यालयों, रेलवे/बस स्टेशनों, होटल/रेस्टोरेंट आदि का समुचित अग्निशमन ऑडिट अवश्य कर लिया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे समस्त स्थल पर फायर सर्विस विभाग द्वारा जॉच/ऑडिट कर लिया गया है।

- आग की घटना के पश्चात जनपदीय पुलिस/यातायात कर्मी तथा फायर सर्विस विभाग द्वारा और अधिक समन्वय स्थापित कर तत्परता पूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि अग्निशमन वाहनों के आवागमन के दौरान कहीं पर भी ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न न होने पाए।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

दिनांक 02.06.2024
प्रेस विज्ञप्ति 03/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अलीगढ़/थाना बरला

●पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

●01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक 01/02.06.2024 को थाना बरला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मदापुर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त विवेक घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद अलीगढ़ से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बरला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विवेक निवासी भरतरी थाना गभाना जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–58

• 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 02.06.2024 को थाना सेक्टर–58 व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त सन्दीप कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में धोखाधड़ी आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सेक्टर–58 पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–58 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सन्दीप कुमार निवासी ग्राम दरवारपुर थाना मुण्डावर जनपद अलवर राजस्थान, हालपता नई अनाज मण्डी बाईपास, दांतला रोड थाना खेरथल जनपद खेरथल राजस्थान।

जनपद अलीगढ़/थाना गभाना

• 02 अभियुक्त गिरफ्तार

• लूट के 21 हजार 600 रूपये नगद

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 02.06.2024 को थाना गभाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पचपेडा तिराहा के पास से 02 अभियुक्तों 1–अजमत 2–दिलशाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 21 हजार 600 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अजमत के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में लूट, गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग एवं अभियुक्त दिलशाद के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गभाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अजमत निवासी रायट थाना लोधा जनपद अलीगढ़।

2—दिलशाद निवासी रायट थाना लोधा जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—लूट के 21 हजार 600 रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद मुरादाबाद/थाना छजलैट

●चोरी की घटना का अनावरण

●पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

●चोरी के 27 किलो 250 ग्राम ट्यूववेल मोटर का कॉपर तार

●16 हजार 800 रूपये नगद

●मोटर खोलने के उपकरण आदि

●03 मोबाइल फोन

●04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस

●घटना में प्रयुक्त 02 दो पहिया वाहन बरामद

दिनांक 02.06.2024 को थाना छजलैट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम शैखुपुरा के पास से पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्तों

1–इश्तेकार 2–फरियाद 3–मुख्तियार 4–वाहिद को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 27 किलो 250 ग्राम ट्यूववेल मोटर का कॉपर तार, 16 हजार 800 रूपये नगद, मोटर खोलने के उपकरण आदि, 03 मोबाइल फोन, 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 दो पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त इश्तेकार के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 29 अभियोग, अभियुक्त वाहिद के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 32 अभियोग, अभियुक्त फरियाद के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 12 अभियोग एवं अभियुक्त मुख्तियार के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना छजलैट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–इश्तेकार निवासी ग्राम ताहरपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद, हालपता मंसूर कॉलोनी थाना मझौला जनपद मुरादाबाद।

2–फरियाद निवासी ग्राम अल्लाहपुर भीकन थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद, हालपता मोहल्ला नरोत्तम सराय थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल।

3–मुख्तियार निवासी ग्राम अल्लाहपुर भीकन थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद, हालपता मंसूर कॉलोनी थाना मझौला जनपद मुरादाबाद।

4–वाहिद निवासी ग्राम अल्लाहपुर भीकन थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1—चोरी के 27 किलो 250 ग्राम ट्यूववेल मोटर का कॉपर तार।

2—16 हजार 800 रूपये नगद।

3—मोटर खोलने के उपकरण आदि।

4—03 मोबाइल फोन।

5—04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

6—घटना में प्रयुक्त 02 दो पहिया वाहन।

एएनटीएफ/आपरेशनल यूनिट आगरा

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 65 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 86 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ता**
- **लगभग 15 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम**
- **नगद रूपया, 02 मोबाइल फोन**
- **01 वरना कार बरामद**

दिनांक 02.06.2024 को आपरेशनल यूनिट आगरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 मादक पदार्थ तस्करों 1—जितेन्द्र उर्फ जीतू 2—धर्मेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 65 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 86 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ता, लगभग 15 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम, नगद रूपया, 02 मोबाइल फोन, 01 वरना कार बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहाबाद कमिश्नरेट आगरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जितेन्द्र उर्फ जीतू निवासी कान्हा वाटिका टेकमैन सिटी थाना हाईवे जनपद मथुरा।

2–धर्मेन्द्र निवासी एफ–25 मोहली रोड जनकपुरी थाना कोतवाली जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–लगभग 65 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 86 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ता।

2–लगभग 15 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम।

3–नगद रूपया, 02 मोबाइल फोन।

4–01 वरना कार।

एसटीएफ–उ0प्र0 पुलिस उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष भर्ती परीक्षा–20–2021 में कुछ परीक्षा सेन्टर के कर्मचारियों के मिली भगत से परीक्षा पास कराने वाले गिरोह का सदस्य तथा थाना कोतवाली हुसैनगंज, लखनऊ के अभियोग में वांछित रू0 25 हजार का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार।

उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक एवं समकक्ष भर्ती परीक्षा 20–2021 में परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त आईटी सेक्टर के कर्मचारियों के मिली भगत से परीक्षा पास कराने वाले गिरोह का सदस्य एवं थाना हुसैनगंज, लखनऊ के अभियोग में रू0 25 हजार का पुरस्कार घोषित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1– अतुल यादव पुत्र रमेश यादव नि0 ग्राम व थाना–आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्तों से बरामदगीः-

1– 01 अदद मोबाईल फोन।

2– रू0 250/– नगद।

गिरफ्तारी स्थल/समय/दिनांक-

अंश स्वीट्स एवं रेस्टोरेन्ट अमहट, थाना क्षेत्र कोतवाली नगर, सुलतानपुर। दिनांक 02–06–2024 समय 09.30 प्रातः।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक एवं समकक्ष भर्ती परीक्षा 20–2021 में अभ्यर्थी रितेश यादव का सेलेक्शन हुआ था। रितेश यादव के सेलेक्शन के उपरान्त उ0प्र0 पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड द्वारा उसके मूल दस्तावेज का सत्यापन हेतु मांग की गयी। जिस पर अभ्यर्थी रितेश यादव अपना मूल दस्तावेज भर्ती बोर्ड को उपलब्ध नहीं करा सका। जिस पर उ0प्र0 पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी रितेश यादव की नियुक्ति रद्द कर दी गयी। जिसके विरूद्ध अभ्यर्थी रितेश यादव द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट योजित की गयी थी। मा0 न्यायालय द्वारा याची के रिट पर एक माह में मूल दस्तावेज उ0प्र0 पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देश पारित किया गया था। परन्तु अभ्यर्थी द्वारा उक्त निर्धारित समय में भी उ0प्र0 पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड के समक्ष अपना मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाया। अभ्यर्थी रितेश यादव से पूछताछ पर यह ज्ञात हुआ कि उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक एवं समकक्ष भर्ती परीक्षा 20–2021 में परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त आईटी सेक्टर के कर्मचारियों के मिली भगत से परीक्षा पास कराने वाले गिरोह के सदस्य अजय चौहान एवं बी0के0 सिंह के पास उसका मूल दस्तावेज है। साथ ही यह भी ज्ञात हुआ कि इस गिरोह के साथ मिलकर परीक्षा पास करके रितेश यादव भी उक्त परीक्षा में चयन हुआ था। जिस पर पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा 11 व्यक्तियों के विरूद्ध थाना हुसैनगंज, लखनऊ में मु0अ0सं0 206/2022 पर धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, भादवि व 3/9 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम व 66डी आई एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इसी अभियोग की विवेचना श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा की जा रही थी जिसमें अतुल यादव उपरोक्त वांछित चल रहा था और इसके गिरफ्तार हेतु रू0 25 हजार का पुरस्कार घोषित था।

अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 टीम को विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त अभियोग में वांछित पुरस्कार घोषित अभियुक्त अतुल यादव जनपद सुलतानपुर में लुकछिप कर रह रहा है। इस सूचना पर निरीक्षक/विवेचक श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम जनपद सुलातानपुर में अभिसूचना संकलन के आधार पर आज दिनांक 02–06–2024 को वांछित अभियुक्त अतुल यादव को अंश स्वीट्स एवं रेस्टोरेन्ट अमहट, थाना क्षेत्र कोतवाली नगर, सुलतानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त अतुल यादव उपरोक्त ने बताया कि रितेश यादव उसका चचेरा मामा लगता है। रितेश यादव ने अतुल यादव से कहा था कि अजय चौहान, वी0के0 सिंह, शशिकान्त राम आदि

सचिवालय के कर्मचारी है (जो सचिवालय कर्मचारी नहीं थे) जो उ0प्र0 पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त आईटी कर्मचारियों के मिली भगत से परीक्षा पास कराते है। यदि तुम भी इस परीक्षा में पास होना चाहते हो तो 15 लाख रूपये की व्यवस्था करो। इस बात पर अतुल यादव उस गिरोह से सम्पर्क करके अन्य अभ्यर्थियों से इस परीक्षा पास कराने के नाम पर पैसा इकठ्ठा करने लगा ताकि उसका पैसा बच जाय। इसी गिरोह के माध्यम से परीक्षा पास करके रितेश यादव का चयन हुआ था, परन्तु उसका मूल दस्तावेज अजय चौहान के पास था। अतुल यादव उपरोक्त कई अभ्यर्थियों से मोटी रकम लिया था और उसमे से इस गिरोह के अन्य सदस्यों को भी पैसा दिया था। अतुल यादव उपरोक्त भी अभ्यर्थी था जो इस परीक्षा में पास होने के लिए प्रयासरत था। परन्तु उसका सेन्टर अन्यत्र (जहॉ इस गिरोह की सेटिंग नहीं थी) पड़ने के वजह से वह परीक्षा पास नहीं हो सका।

गिरफ्तार अभियुक्त थाना हुसैनगंज, लखनऊ में मु0अ0सं0 206/2022 पर धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, भादवि व 3/9 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम व 66डी आई एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही एसटीएफ के विवेचक के स्तर पर प्रचलित है।

———————